विक्रय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:- (Borrower) 5607399/post/22



DEEPAK II C/O IAI KUMAR

MANGALPUR (PART)(1) KARNAL TIKRI HARYANA 324 NAGAR KHERA Karnal Karnal Haryana 132001

Borrower: DEEPAK JI C/O JAI KUMAR MANGALPUR (PART)(1) KARNAL TIKRI HARYANA 324 NAGAR KHERA Karnal Karnal Haryana

132001

Co-Borrower-1: NIL Co-Borrower-2: NIL

GTR - 1: NII.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:---

- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5607399 दिनांक 10-Apr-21 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 570000 / रूपये की ऋण राशि अपने वाहन MAHINDRA XUV 500 W8 जिसका पंजीकरण संख्या PB02CJ2575 है, पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 17963/- रूपये की 48 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोधिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नही होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नही हो जाती वाहन अपने आधिपत्य मे रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 29-Oct-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेत् नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन MAHINDRA XUV 500 W8 रजिस्ट्रेशन नम्बर PB02CJ2575 इंजन नम्बर HJE4E12295 एवं चेसिस नम्बर MA1YT2HJUE6D16460 को अनुबन्ध की शर्तोनुसार दिनांक 23-Dec-22 को 470000 / - रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 155799 / – रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनबन्ध की शर्तानसार आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

7083-5523

99